

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी, जनपद देहरादून।

ईमेल—cfoddn.ukfs@gmail.com

मोबाईल नम्बर—9456597981, फोन नम्बर—0135—2654900

पत्राक: न-20/असुव्य (516)/2026

दिनांक: सितम्बर 18, 2026

सेवा में,

प्रधानाचार्य/प्रबन्धक

HIM JYOTI SCHOOL

7 KM MILESTONE, SAHASTRADHARA ROAD

NEAR IT PARK

जनपद—देहरादून।

विषय

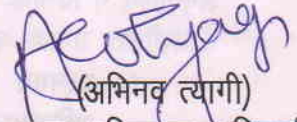
शैक्षणिक भवन में अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के सम्बन्ध में दिये गये निर्देशों को ध्यान पूर्वक पढ़ें।

कृपया आपके आवेदन यूनिक नम्बर:—60997294 दिनांक: 03.09.2026 जो कि Uttarakhand Fire and Emergency Services के वेब पेज पर प्राप्त हुआ है, के अनुसार अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी देहरादून द्वारा किया गया। अग्निशमन अधिकारी देहरादून की निरीक्षण आख्या दिनांक 09.09.2026 के अनुसार निरीक्षण के दौरान अग्निशमन व्यवस्था फायर एक्सटिंग्यूशर, होजरील, पानी टैंक, फायर पम्प इत्यादि कार्यशील दशा में पायी गयी। भवन/संस्थान एक **शैक्षणिक भवन** है। भवन/संस्थान में **भूतल एवं प्रथम तल** है। भवन/संस्थान में **बेसमेन्ट नहीं** है।

अतः उत्तराखण्ड शासन, गृह अनुभाग-03 की अधिसूचना संख्या-342/XX-3/2021-2(39)/2006 देहरादून दिनांक: 29 नवम्बर 2021 तथा संख्या-304272/XX-3/2025-02(10)/2024 देहरादून दिनांक 06 जून, 2025 के अनुपालन में दिनांक: 18 सितम्बर 2026 से 17 सितम्बर 2029 (03 वर्ष) तक के लिये प्राथमिक अग्नि उपकरणों सम्बन्धी कार्यशीलता प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाता है, तथा निम्न शर्तों का पालन किये जाने पर ही यह वैध रहेगा।

1. प्रश्नगत भवन/संस्थान को दिनांक अप्रैल 15, 2023 में नवीनीकरण प्रमाण पत्र निर्गत की गई थी। यह अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र पूर्व में निर्मित भवन को प्रदान किये गये अग्निशमन अनापत्ति के नवीनीकरण हेतु प्रदान किया जा रहा है। यदि सम्बन्धित भवन या अधिभोग के आकार, प्रकृति, प्रयोजन या स्थान में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन किया गया है, तो अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र नये सिरे से लिया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जाएगा।
2. संस्थान की अग्निशमन व्यवस्था के कार्यशील एवं एन.बी.सी.-2016 के मानकानुसार अग्निशमन व्यवस्था पूर्ण होने का स्व-घोषण प्रमाण पत्र/Audit Report प्रति छः माह में प्रस्तुत/अपलोड/ईमेल (cfoddn.ukfs@gmail.com) करना अनिवार्य है।
3. संस्थान में प्रत्येक 03 माह में मॉक ड्रिल करायी जाये जिसकी सूचना इस कार्यालय को प्रेषित की जानी आवश्यक है।
4. प्रत्येक स्व-घोषण प्रमाण पत्र/Audit Report में संस्थान में उपलब्ध अग्निशमन व्यवस्था में बदलाव (जैसे मेन्टीनेंस इत्यादि) की स्थिति से इस कार्यालय को अवगत कराना अनिवार्य है।
5. सभी बाहर निकलने या बचाव के रास्ते तथा सीढ़ियां प्रत्येक दशा में अवरोध मुक्त रखी जाये।
6. आपके संस्थान के सभी कर्मचारियों को उपलब्ध अग्निशमन यन्त्रों का तथा सुरक्षित निष्क्रमण (Evacuation) प्रक्रिया का ज्ञान होना आवश्यक होगा।
7. सभी अग्निशमन यन्त्रों को कार्यशील दशा में रखने की जिम्मेदारी प्रधानाचार्य/प्रबन्धन की होगी। अग्निशमन यन्त्रों की स्थापना का अर्थ यह नहीं लगाया जाए कि अग्निकाण्ड की घटना नहीं हो सकती है। अतः स्वामी/प्रबन्धन को अग्निनिरोधक उपाय सदैव करते रहना चाहिए।
8. यदि भवन/संस्थान को जिस मानचित्र पर पूर्व संचालन (Pre-Operational) अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान की गई थी यदि उसके दर्शाये गये सैट बैंक में स्थाई व अस्थायी निर्माण कर अग्निशमन एवं रेस्क्यू कार्य बाधित किये जाने एवं सेफ्टी मानकों में परिवर्तन किये जाने पर प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
9. संस्थान में फायर एण्ड लाईफ सेफ्टी के दृष्टिगत फायर पम्प हाऊस की इलैक्ट्रिक सप्लाय के लिए सेपरेट फिडर का प्रयोग करना अनिवार्य है यदि अग्निकाण्ड की घटना घटित होने पर पम्प हाऊस को इलैक्ट्रिक की सप्लाय नहीं मिलती है तो सम्पूर्ण दायित्व प्रधानाचार्य/प्रबन्धक का होगा। फायर पम्प को सदैव ऑटोमोड में रखा जाए।
10. प्रधानाचार्य/प्रबन्धक को प्रश्नगत भवन में उपलब्ध न्यूनतम अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था के अतिरिक्त भवन में सुदृढ़ व्यवस्था हेतु संचालित लैब (कैमैस्ट्री, कम्प्यूटर आदि) में क्लीन एजेंट बेस एक्सटिंग्यूइंग सिस्टम, फोम एक्सटिंग्यूशर, कीचन/कैन्टीन में ऑटोमेटिक सप्रेशन सिस्टम तथा एलपीजी गैस डिटेक्टर सिस्टम तथा जेनरेटर सैट/डीजल स्टोरेज हेतु 50 लीटर क्षमता का फोम एक्सटिंग्यूशर का प्रावधान कराना अनिवार्य होगा। जिसकी अनुपालन रिपोर्ट प्रथम स्व-घोषण प्रमाण पत्र/Audit Report के साथ उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

11. इस अनापत्ति प्रमाण पत्र का उपयोग अवैध निर्माण को नियमित करने के लिए नहीं किया जा सकता।
12. भवन/संस्थान में विद्युत यन्त्रों की स्थापना, वेंटीलेशन, स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी, सैट बैक एरिया व निर्माण, Land Use Change में बदलाव आदि का सत्यापन सम्बन्धित अधिकारी से कराया जाए।
13. संस्थान में जीव रक्षा एवं राष्ट्रीय सम्पत्ति की सुरक्षा के हित में अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था को निर्धारित मानकों/एन.बी.सी 2016 के भाग 04 की गाईड लाईन के अनुसार सदैव अद्यतन (Update) स्थिति में रखे जाने की जिम्मेदारी स्वामी/प्रबन्धक की होगी।
14. इस अग्निशमन अनापत्ति की निर्गत तिथि के उपरान्त भवन में स्थापित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थाओं के खराब रख रखाव/प्रशिक्षण (Poor Maintenance/Training) या किसी अन्य कारण से कोई अप्रिय घटना घटित होती है तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वामी/प्रबन्धक की होगी।
15. प्रधानाचार्य/प्रबन्धक को निर्देशित किया गया कि प्रश्नगत भवन का मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत है। भवन का उसी प्रयोजन हेतु उपयोग किया जाए, यदि स्वीकृत मानचित्र के अतिरिक्त भवन अन्य प्रयोजन हेतु उपयोग किया जाता है तो अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रभावी नहीं रहेगा और स्वतः ही अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त समझा जाएगा। उक्त भवन के किसी तल में कोई नया शैक्षणिक संस्थान संचालित किया जाता है तो उसकी जानकारी इस कार्यालय को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
16. आकस्मिक निरीक्षण के दौरान नियमानुसार व्यवस्था नहीं पायी जाती है, यदि किसी प्रकार की लापरवाही/तकनीकी खराबी के कारण अग्नि दुर्घटना के समय अग्निशमन उपकरण कार्य नहीं करते हैं तो पूर्ण उत्तरदायित्व प्रधानाचार्य/प्रबन्धक का होगा तथा यह प्रदत्त प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।


(अभिनव त्यागी)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
देहरादून।

कार्यालय

मुख्य

अग्निशमन

अधिकारी

देहरादून।

पत्रांक: न-20/असुव्य (142)/2023

दिनांक: अप्रैल 15, 2023

सेवा में,

प्रधानाचार्य/प्रबन्धक

हिम ज्योति स्कूल (Him Jyoti School)

7 Km Milestone Sahastradhara Road, Near IT Park

जनपद-देहरादून।

सन्दर्भ:-

अग्निशमन एवं आपात सेवा उत्तराखण्ड की वेबसाईट पर उपलब्ध कराये गये यूनिक नम्बर 54187879 दिनांक 05.04.2023 के सम्बन्ध में।

आपके स्कूल का निरीक्षण अग्नि सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिकोण से प्रभारी/अग्निशमन अधिकारी देहरादून द्वारा किया गया। निरीक्षण आख्या दिनांक 12-04-2023 में आपके स्कूल में स्थापित प्राथमिक अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को सन्तोषजनक इंगित करते हुये अग्नि सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धी कार्यशीलता प्रमाण-पत्र प्रदान करने की संस्तुति की है।

अतः प्रभारी/अग्निशमन अधिकारी देहरादून की निरीक्षण आख्या दिनांक 12-04-2023 के आधार पर आपके स्कूल हेतु उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-342/XX-3/2021-2(39)/2006 देहरादून दिनांक 29 नवम्बर, 2021 के अनुपालन में दिनांक 15-04-2023 से 14-04-2026 (03 वर्ष) तक के लिये प्राथमिक अग्नि उपकरणों सम्बन्धी कार्यशीलता प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाता है। साथ ही उक्त व्यवस्था के कार्यशील होने का स्व-घोषणा प्रमाण पत्र/Audit Report प्रति छः माह में प्रस्तुत/अपलोड करना अनिवार्य होगा। यदि उपरोक्त अग्निसुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र से सम्बन्धित भवन या अधिभोग के आकार, प्रकृति, प्रयोजन या स्थान में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन किया जाता है, तो अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र नये सिरे से लिया जाना अनिवार्य होगा। अग्निशमन अधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन करेंगे एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं को सदैव उच्च स्तर पर रखेंगे। यह प्रमाण पत्र अवैध निर्माण को वैध करने के लिए मान्य नहीं होगा। अग्निशमन व्यवस्था के सुदृढ़ न पाये जाने अथवा अकार्यशील दशा में पाये जाने पर यह प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

(आरो एम् एम् झाती)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
देहरादून।

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी, जनपद देहरादून।

ईमेल—cfoddn.ukfs@gmail.com

मोबाईल नम्बर—9456597981, फोन नम्बर—0135—2654900

पत्राक: न-20/असुव्यं (515)/2026-

दिनांक: सितम्बर 18, 2026

सेवा में,

प्रधानाचार्य/प्रबन्धक

HIM JYOTI SCHOOL MIDDLE WING

(Earlier Name HIM JYOTI VOCATIONAL INSTITUTE)

Khasra No-46, Danda Nooriwala (Opposite DG Health Office)

Sahastradhara Road,

जनपद—देहरादून।

विषय

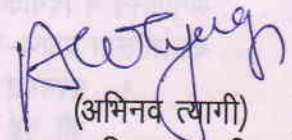
शैक्षणिक भवन में अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के सम्बन्ध में दिये गये निर्देशों को ध्यान पूर्वक पढ़ें।

कृपया आपके आवेदन यूनिफ़ॉर्म नम्बर—89505953 दिनांक: 03.09.2026 जो कि Uttarakhand Fire and Emergency Services के वेब पेज पर प्राप्त हुआ है, के अनुसार अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी देहरादून द्वारा किया गया। अग्निशमन अधिकारी देहरादून की निरीक्षण आख्या दिनांक 07.09.2026 के अनुसार निरीक्षण के दौरान अग्निशमन व्यवस्था फायर एक्सटिंग्यूशर, होजरील, पानी टैंक, फायर पम्प इत्यादि कार्यशील दशा में पायी गयी। भवन/संस्थान एक **शैक्षणिक भवन** है। भवन/संस्थान में **भूतल एवं प्रथम तल** है। भवन/संस्थान में **बेसमेन्ट नहीं** है।

अतः उत्तराखण्ड शासन, गृह अनुभाग-03 की अधिसूचना संख्या-342/XX-3/2021-2(39)/2006 देहरादून दिनांक: 29 नवम्बर 2021 तथा संख्या-304272/XX-3/2025-02(10)/2024 देहरादून दिनांक 06 जून, 2025 के अनुपालन में दिनांक: 18 सितम्बर 2026 से 17 सितम्बर 2029 (03 वर्ष) तक के लिये प्राथमिक अग्नि उपकरणों सम्बन्धी कार्यशीलता प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाता है, तथा निम्न शर्तों का पालन किये जाने पर ही यह वैध रहेगा।

1. प्रश्नगत भवन/संस्थान को दिनांक अगस्त 19, 2021 में पूर्व संचालन (Pre-Operational) प्रमाण पत्र निर्गत की गई थी। यह अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र पूर्व में निर्मित भवन को प्रदान किये गये अग्निशमन अनापत्ति के नवीनीकरण हेतु प्रदान किया जा रहा है। यदि सम्बन्धित भवन या अधिमोग के आकार, प्रकृति, प्रयोजन या स्थान में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन किया गया है, तो अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र नये सिरे से लिया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जाएगा।
2. संस्थान की अग्निशमन व्यवस्था के कार्यशील एवं एन.बी.सी.-2016 के मानकानुसार अग्निशमन व्यवस्था पूर्ण होने का स्व-घोषण प्रमाण पत्र/Audit Report प्रति छः माह में प्रस्तुत/अपलोड/ईमेल (cfoddn.ukfs@gmail.com) करना अनिवार्य है।
3. संस्थान में प्रत्येक 03 माह में मॉक ड्रिल करायी जाये जिसकी सूचना इस कार्यालय को प्रेषित की जानी आवश्यक है।
4. प्रत्येक स्व-घोषण प्रमाण पत्र/Audit Report में संस्थान में उपलब्ध अग्निशमन व्यवस्था में बदलाव (जैसे मेन्टीनेंस इत्यादि) की स्थिति से इस कार्यालय को अवगत कराना अनिवार्य है।
5. आपके संस्थान के सभी कर्मचारियों को उपलब्ध अग्निशमन यन्त्रों का तथा सुरक्षित निष्क्रमण (Evacuation) प्रक्रिया का ज्ञान होना आवश्यक होगा।
6. सभी अग्निशमन यन्त्रों को कार्यशील दशा में रखने की जिम्मेदारी प्रधानाचार्य/प्रबन्धन की होगी। अग्निशमन यन्त्रों की स्थापना का अर्थ यह नहीं लगाया जाए कि अग्निकाण्ड की घटना नहीं हो सकती है। अतः स्वामी/प्रबन्धन को अग्निनिरोधक उपाय सदैव करते रहना चाहिए।
7. यदि भवन/संस्थान को जिस मानचित्र पर पूर्व संचालन (Pre-Operational) अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान की गई थी यदि उसके दर्शाये गये सैट बैंक में स्थाई व अस्थायी निर्माण कर अग्निशमन एवं रेस्क्यू कार्य बाधित किये जाने एवं सेफ्टी मानकों में परिवर्तन किये जाने पर प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
8. संस्थान में फायर एण्ड लाईफ सेफ्टी के दृष्टिगत फायर पम्प हाऊस की इलैक्ट्रिक सप्लाय के लिए सेपरेट फिडर का प्रयोग करना अनिवार्य है यदि अग्निकाण्ड की घटना घटित होने पर पम्प हाऊस को इलैक्ट्रिक की सप्लाय नहीं मिलती है तो सम्पूर्ण दायित्व प्रधानाचार्य/प्रबन्धक का होगा। फायर पम्प को सदैव ऑटोमोड में रखा जाए।
9. प्रधानाचार्य/प्रबन्धक को प्रश्नगत भवन में उपलब्ध न्यूनतम अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था के अतिरिक्त भवन में सुदृढ़ व्यवस्था हेतु संचालित लैब (कैमैस्ट्री, कम्प्यूटर आदि) में क्लीन एजेंट बेस एक्सटिंग्यूइंग सिस्टम, फोम एक्सटिंग्यूशर तथा जेनरेटर सैट/डीजल स्टोरेज हेतु 50 लीटर क्षमता का फोम एक्सटिंग्यूशर का प्रावधान कराना अनिवार्य होगा। जिसकी अनुपालन रिपोर्ट प्रथम स्व-घोषण प्रमाण पत्र/Audit Report के साथ उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

10. सभी बाहर निकलने या बचाव के रास्ते तथा सीढ़ियां प्रत्येक दशा में अवरोध मुक्त रखी जाये।
11. इस अनापत्ति प्रमाण पत्र का उपयोग अवैध निर्माण को नियमित करने के लिए नहीं किया जा सकता।
12. भवन/संस्थान में विद्युत यन्त्रों की स्थापना, वेंटीलेशन, स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी, सैट बैक एरिया व निर्माण, Land Use Change में बदलाव आदि का सत्यापन सम्बन्धित अधिकारी से कराया जाए।
13. संस्थान में जीव रक्षा एवं राष्ट्रीय सम्पत्ति की सुरक्षा के हित में अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था को निर्धारित मानकों/एन.बी.सी 2016 के भाग 04 की गाईड लाईन के अनुसार सदैव अद्यतन (Update) स्थिति में रखे जाने की जिम्मेदारी स्वामी/प्रबन्धक की होगी।
14. इस अग्निशमन अनापत्ति की निर्गत तिथि के उपरान्त भवन में स्थापित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थाओं के खराब रख रखाव/प्रशिक्षण (Poor Maintenance/Training) या किसी अन्य कारण से कोई अप्रिय घटना घटित होती है तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वामी/प्रबन्धक की होगी।
15. प्रधानाचार्य/प्रबन्धक को निर्देशित किया गया कि प्रश्नगत भवन का मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत है। भवन का उसी प्रयोजन हेतु उपयोग किया जाए, यदि स्वीकृत मानचित्र के अतिरिक्त भवन अन्य प्रयोजन हेतु उपयोग किया जाता है तो अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रभावी नहीं रहेगा और स्वतः ही अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त समझा जाएगा। उक्त भवन के किसी तल में कोई नया शैक्षणिक संस्थान संचालित किया जाता है तो उसकी जानकारी इस कार्यालय को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
16. आकस्मिक निरीक्षण के दौरान नियमानुसार व्यवस्था नहीं पायी जाती है, यदि किसी प्रकार की लापरवाही/तकनीकी खराबी के कारण अग्नि दुर्घटना के समय अग्निशमन उपकरण कार्य नहीं करते हैं तो पूर्ण उत्तरदायित्व प्रधानाचार्य/प्रबन्धक का होगा तथा यह प्रदत्त प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।



(अभिनव त्यागी)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
देहरादून।

कार्यालय

मुख्य

अग्नि

शमन

अधिकारी

देहरादून।

पत्रांक: न-9/स्कू00भ0मा10-D-PO-260-2021

दिनांक: अगस्त 19, 2021

सेवा में,

प्रधानाचार्य/प्रबन्धक

HIM JYOTI VOCATIONAL INSTITUTE.

Khasra No-46, Danda Nooriwala

(Opposite DG Health Office) Sahastradhara Road,

जनपद-देहरादून।

विषय

अग्नि सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धी पूर्णता प्रमाण पत्र (Pre-Operational) विषयक।

कृपया आपके द्वारा अग्निशमन एवं आपात सेवा उत्तराखण्ड की बैबसाईट पर आवेदित यूनिक नम्बर 56931293 दिनांक 13.08.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा Khasra No-46, Danda Nooriwala (Opposite DG Health Office) Sahastradhara Road, जनपद देहरादून हेतु मैं निर्मित शैक्षणिक भवन (HIM JYOTI VOCATIONAL INSTITUTE) हेतु अग्नि शमन सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धी अन्तिम अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किये जाने की अपेक्षा की गई है।

उक्त के क्रम में प्रश्नगत शैक्षणिक भवन का निरीक्षण प्राथमिक अग्नि सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिकोण से प्रभारी/अग्निशमन अधिकारी देहरादून द्वारा किया गया एवं संस्तुति आख्या दिनांक 17.08.2021 को इस कार्यालय को प्रेषित की गई। निरीक्षण आख्या निम्नवत् है:-

1. निरीक्षण की तिथि को प्रश्नगत भवन तक अग्निशमन का वाहन पहुँच सकता है।
2. निरीक्षण की तिथि को प्रश्नगत भवन के ऊपर से कोई हाईटेंशन लाईन नहीं गुजर रही है।
3. निरीक्षण की तिथि को भवन भूतल एवं प्रथम तल में निर्मित है।
4. निरीक्षण की तिथि को प्रश्नगत भवन में 50 हजार लीटर क्षमता का भूमिगत पानी टैंक मय फायर पम्प का प्राविधान किया गया है।
5. निरीक्षण की तिथि को प्रश्नगत भवन के भूतल में फायर हाईड्रेंट (क्रेडिल बाक्स में 02 अद्द डिलीवरी होज पाईप मय साधारण ब्रांच पाईप) का प्राविधान किया गया है।
6. निरीक्षण की तिथि को प्रश्नगत भवन के प्रत्येक तल में होजरील का प्राविधान किया गया है।
7. निरीक्षण की तिथि को प्रश्नगत भवन में फायर एक्सटिंग्यूशर का प्राविधान किया गया है, जो कार्यशील एवं सन्तोषजनक दशा में है।
8. निरीक्षण की तिथि को प्रश्नगत भवन में फायर अलार्म सिस्टम का प्राविधान किया गया है।
9. निरीक्षण की तिथि को प्रश्नगत भवन की विद्युत व्यवस्था एम0सी0वी0 एवं ई0एल0सी0वी0 पर आधारित है।
10. प्रश्नगत शैक्षणिक भवन में कार्यरत कर्मचारियों को अग्निशमन यन्त्र संचालन का ज्ञान होना आवश्यक है।
11. प्रश्नगत शैक्षणिक भवन विस्तार/अतिरिक्त निर्माण करने पर अलग से अग्निशमन विभाग से अग्निशमन व्यवस्था का कार्यशीलता प्रमाण पत्र लिया जाना आवश्यक होगा।
12. प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को निकास मार्ग/सैट बैंक को सदैव अवरोध रहित रखने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः उपरोक्त अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं के आधार पर Khasra No-46, Danda Nooriwala (Opposite DG Health Office) Sahastradhara Road, जनपद देहरादून हेतु मैं निर्मित शैक्षणिक भवन (HIM JYOTI VOCATIONAL INSTITUTE) हेतु अग्नि सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धी पूर्णता प्रमाण पत्र (Pre-Operational) प्रदान किये जाने में अग्नि शमन विभाग को कोई आपत्ति नहीं है। वशर्ते शैक्षणिक भवन स्वामी/सोसाइटी/प्रधानाचार्य प्रश्नगत भवन में की गई अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को सदैव उच्च स्तर का बनाये रखेंगे साथ ही की अग्नि शमन विभाग द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन सुनिश्चित करेंगे। भवन स्वामी/सोसाइटी/प्रधानाचार्य को उक्त भवन में स्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण प्रत्येक वर्ष अग्निशमन एवं आपात सेवा, देहरादून से करवाकर उक्त व्यवस्था का कार्यशील होने का प्रमाण पत्र (Annual Clearance) अवश्य लेना होगा। यह प्रमाण पत्र अवैध निर्माण को वैध करने के लिए मान्य नहीं होगा। प्रश्नगत भवन में स्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्था के संचालन हेतु प्राथमिक अग्निशमन प्रशिक्षण प्राप्त सुरक्षा कर्मियों को रखेंगे ताकि किसी आकस्मिकता के समय त्वरित अग्निशमन कार्य किया जा सके। भवन में फायर सर्विस का टेलीफोन नम्बर-0135-2716242 एवं पुलिस कन्ट्रोल रूम का टेलीफोन नम्बर-100, 112 एवं एम्बुलेंस का टेलीफोन नं0-108 अंकित करेंगे। ऐसा न करने पर जारी प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

(आरोपित/खाती)

मुख्य अग्नि शमन अधिकारी

देहरादून।